

छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल

नोट : मूल परिचय-पत्र देखने के बाद ही आवेदन पंजीबद्ध किया जावे

असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना 2012 के अंतर्गत
आवेदन सह आदेश-पत्र

1. पंजीयन क्रमांक
2. आवेदक/आवेदिका का नाम
3. वैयक्तिक पहचान-पत्र (आधार नंबर
/बी0पी0एल0कार्ड)
4. पिता का नाम
5. आवेदक/आवेदिका की आयु
6. आवेदक/आवेदिका का व्यवसाय
7. आवेदक/आवेदिका की वार्षिक आय (वार्षिक
आय रुपये 50 हजार से अधिक न हो)
8. आवेदक की बीमारी का नाम
9. चिकित्सालय का नाम जहाँ आवेदक का ईलाज
चल रहा है
10. चिकित्सालय का देयक क्रमांक
11. चिकित्सालय की देयक राशि
12. पत्र व्यवहार का पता
13. घोषणा : मैं सत्यनिष्ठा से वचन करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है। असत्य पाये
जाने की दशा भुगतान राशि वापस करने का वचन देता हूँ।

आवेदका के हस्ताक्षर

आदेश

जांचोपरान्त उपरोक्त विवरण सही पाए जाने/सही न पाए जाने के कारण आवेदन स्वीकृति/अस्वीकृत
किया जाता है। स्वीकृति की दशा में योजना का नाम के
अंतर्गत राशि द्वारा चिकित्सालय का नाम को जारी किया गया।

स्वीकृतकर्ता के हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

स्थान :

दिनांक :

पावती

चेक क्रमांक दिनांक को प्राप्त किया ।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
पूरा नाम
पता

दिनांक :

स्वीकृतकर्ता अधिकारी कृपया ध्यान दें :-

4. हिताधिकारी श्रमिक स्वयं आवेदक/आवेदिका होने पर परिचय-पत्र का पंजीयन क्रमांक अंकित करें।
5. परिचय-पत्र की छायाप्रति के आधार पर आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाये। मूल परिचय-पत्र देखकर
चिकित्सा लाभ का इन्द्राज कर लौटा दिया जाना चाहिए तथा परिचय पत्र में छायाप्रति की मांग नहीं की जानी
चाहिए। आवेदक द्वारा दर्शाए विवरण की स्थल जांच कर पुष्टि हो जाने के पश्चात् ही सहायता राशि स्वीकृत
की जाए।
6. आवेदक की वार्षिक आय रुपये 50 हजार अथवा उससे कम हो तथा 2.50 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि होने पर
योजना का लाभ मिलेगा।